राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2438/2016

कमलेश चन्द मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक, भरतपुर जॉन, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 16.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–।। के पद पर आदेश दिनांक 11.03.1999 के द्वारा जोधपुर डिवीजन में हुई थी। इसके पश्चात दिनांक 08.09.2001 को अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भगवंतगढ जिला सवाईमाधोपुर में हुई। अपीलार्थी ने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा एम.ए. वर्ष 2005 में उत्तीर्ण की और उक्त योग्यता का अपनी सेवा पुस्तिका में इंद्राज कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), सवाईमाधोपुर, से पत्र दिनांक 22.12.2005 (अनुलग्नक–3) उप निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) कोटा को प्रेषित कर अपीलार्थी की वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु कार्यवाही करने के लिए पत्र प्रेषित किया। उक्त पत्र लिखे जाने के पश्चात भी अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया गया। बाद में अपीलार्थी का नाम क्रमांक संख्या 471(ए) वर्ष 2001–02 के स्थान पर आदेश दिनांक 17.12.2013 (अनुलग्नक–4) के द्वारा जोड़ा गया। अपीलार्थी की ओर से आगे कथन किया गया है कि अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु आदेश दिनांक 30.05.2015 के द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति लल्लूराम मीणा, कल्लूराम मीणा, मुकेश कुमार मीणा एवं मनोज कुमार मीणा को पदोन्नति दी गई और अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन भी दिनांक 31.05.2016 को दिया गया, जिसमें अपीलार्थी ने वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दिये जाने की

प्रार्थना की। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर वर्ष 2009–10 अथवा 2010–11 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है एवं इसके पश्चात अपीलार्थी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में समय पर योग्यता दर्ज नहीं की गई, जो कि वर्ष 2012–13 में दर्ज की गई और इसी कारण से अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति प्रदान कर दी गई। अपीलार्थी अपनी पदोन्नति के संबंध में रिव्यू डीपीसी करवाने का अधिकारी है और वर्ष 2009–10 के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा जोधपुर मण्डल जोधपुर द्वारा की गई थी । उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा जोधपुर मण्डल जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के वरिष्ठता का स्थानान्तरण (प्रपत्र – 6) जोधपुर मण्डल से कोटा मण्डल के लिए दिनांकः 4–7–13 द्वारा प्रेषित की गई । अतः दिनांकः 4–7–13 से पूर्व नाम व योग्यता का अंकन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः दिनांकः 4–7–13 से प्रपत्र–6 प्राप्त होने के पश्चात् उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कोटा मण्डल कोटा द्वारा अपीलार्थी का नाम 471 ए/2001–02 दिनांकः 17–12–13 से अंकन किया गया । अतः अपील खारिज योग्य है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता का स्थानान्तरण जोधपुर मण्डल से कोटा मण्डल में दिनांकः 4–7–13 को किया गया। अतः दिनांकः 4–7–13 से पूर्व अपीलार्थी की वरिष्ठता कोटा मण्डल में संधारित नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा अपनी योग्यता का अंकन कोटा मण्डल में करवाया जाना चाहिए था। प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार संबंधित चयन वर्ष हेतु वर्गवार निर्धारित रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन संबंधी कार्यवाही द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठतानुसार एंव विषयवार निर्मित पात्रता सूची में से किया जाता है। चूँकि प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद पर वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक की रिक्तियों पर चयन हेतु विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांकः 09–03–2013 को आयोजित की गई थी एंव उक्त तिथि को अपीलार्थी का संबंधित वरिष्ठता सूची में नामांकन व योग्यता विवरण दर्ज नहीं था, अतः अपीलार्थी का नाम नियमानुसार उक्त चयन वर्षो की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु निर्मित पात्रता सूची में दर्ज किया जाना संम्भव नहीं था। अपीलार्थी का संबंधित वरिष्ठता सूची में नामांकन ही विभाग के आदेश दिनांकः

25–03–2014 के द्वारा संबंधित वरिष्ठता सूची 2001–02 में वरिष्ठता क्रमांक 2680(1) पर किया गया है। अतः नामांकन के उपरांत प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद की चयन वर्ष 2013–14 की रिक्तियों पर चयन हेतु निर्मित पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम सम्मिलित किया जाकर नियमानुसार इनका चयन कर लिया गया। प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार संबंधित चयन वर्ष हेतु वर्गवार निर्धारित रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन संबंधी कार्यवाही द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठतानुसार एंव विषयवार निर्मित पात्रता सूची में से किया जाता है । बिन्दु में उद्धृत कनिष्ठ अभ्यार्थियों के नाम से संबंधित वरिष्ठता सूची में चयन वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक की रिक्तियों पर चयन हेतु विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांकः 09–03–2013 के समय पूर्व से दर्ज थे। अतः इनके चयन की तुलना अपीलार्थी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि अपीलार्थी का नाम ही संबंधित वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं था। विभाग द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की अवधिवार सर्वप्रथम वरिष्ठता सूची अस्थाई रूप से मण्डल स्तर पर तैयार की जाकर उसका प्रकाशन करते हुए आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है । तदुपरान्त प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत स्थाई वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाता है । मण्डल स्तर पर सभी स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाकर पुनः आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है। तदुपरान्त प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभाग स्तर पर प्रकाशित की जाने वाली मण्डल/राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में संबधित अध्यापकों को दो बार आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इन दो अवसरों के उपरांत अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठता सूची में नामांकन हेतु समय पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार संबंधित चयन वर्ष हेतु वर्गवार निर्धारित रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन संबंधी कार्यवाही द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठतानुसार एंव विषयवार निर्मित पात्रता सूची में से किया जाता है। चूँकि प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद पर वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक की रिक्तियों पर चयन हेतु विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांकः 09–03–2013 को आयोजित की गई थी एंव उक्त तिथि को अपीलार्थी का संबंधित वरिष्ठता सूची में नामांकन व योग्यता विवरण दर्ज नहीं था, अतः अपीलार्थी का नाम नियमानुसार उक्त चयन वर्षो की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु निर्मित पात्रता

सूची में दर्ज किया जाना संभ्भव नहीं था। इस प्रकार विभाग द्वारा इनका प्राध्यापक स्कूल शिक्षा अंग्रेजी के पद पर चयन वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के प्रति किया गया चयन पूर्णतः नियम संगत है। विभाग द्वारा इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है ।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को वर्ष 2009–10 में पदोन्नति हेतु विचार में नहीं रखा गया, क्योंकि अपीलार्थी की योग्यता समय पर उसके सेवा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई थी। प्रकरण के तथ्यों से प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी की पूर्व में वरिष्ठता जोधपुर मण्डल में थी। अपीलार्थी जोधपुर से कोटा मण्डल में दिनांक 08.09.2001 को स्थानांतरित हुआ। उसके पश्चात अपीलार्थी की वरिष्ठता कोटा मण्डल में अंकित की जानी चाहिए थी, परंतु अपीलार्थी का नाम कोटा मण्डल में वर्ष 2013 में अंकित किया गया, जिसके पश्चात अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई। हमारे मत में अपीलार्थी के स्थानांतरण के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग का दायित्व था कि वह स्थानांतरण के साथ ही अपीलार्थी की वरिष्ठता भी नये मण्डल में दर्ज करें। अपीलार्थी की वरिष्ठता कोटा मण्डल में समय पर दर्ज नहीं की गई। इस कारण से अपीलार्थी को समय पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। अतः हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी कोटा मण्डल में अपनी वरिष्ठता पुनः सही प्रकार से निर्धारित कराकर पदोन्नति के लिए वर्ष 2009–10 अथवा 2010–11 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार में रखे जाने के पात्र है। अतः यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. अतः अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु वर्ष 2009–10 अथवा 2010–11 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार में रखा जाये। अपीलार्थी के संबंध में रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाये एवं अपीलार्थी पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को नियमानुसार पदोन्नति का लाभ दिया जाये एवं अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)